Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLV

मध्यप्रदेश में महिला नीति एवं कल्याणकारी योजनाएं एक अध्ययन (रीवा जिले के सेमरिया तहसील के विशेष संदर्भ में)

डॉ. अर्चना श्रीवास्तव* मंजुला द्विवेदी**

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नात्कोत्तार स्वशासी महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – मध्य प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जहां सबसे पहले राज्य स्तर पर महिला नीति तैयार कर क्रियान्वित की गई है, महिला नीति का अर्थ महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी, आत्मविश्ववासी और अपनी अस्मिता के प्रति सकारात्मक सोच वाला बनाना है ताकि वे कठोर परिस्थितयों का मुकाबला करने में सक्षम हो और विकास कार्यों में भी उनकी भागीदारी हो सके। भारतीय समाज में संविधान की स्थापना में लेख किया गया है कि समतावादी प्रजातांत्रिक मूल्यों को प्राप्त करने के उदेश्य से समाज में किसी भी आधार पर लिंग, जाति, नस्ल आदि भेदभाव नहीं किया जा सकता, इसलिए लम्बे समय से महिलाओं की कमजोर परिस्थिती को मजबूत बनाने के उदेश्य से प्रथम वो महिला कल्याण कार्यों को प्रथमिकता दी गई। मध्य प्रदेश शासन का लक्ष्य महिलाओं का पूर्ण रूप से विकास एवं सशक्त बनाना है, महिला नीति की मूल अवधारणा महिलाओं के प्रति समाज की मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन लाना है।

शब्द कुंजी– महिला नीति, कल्याणकारी योजनाएं, सशक्तिकरण।

प्रस्तावना– लगभग डेढ़ दशक पूर्व वर्ष 2001 में राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति एनपीडब्ल्यू तैयार की गई थी इसके तहत आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों के माध्यम से महिलाओं के संपूर्ण विकास एवं सशक्तिकरण का लक्ष्य रखा गया था वर्तमान वैश्वीकरण के युग में महिलाओं के कार्य क्षेत्र का दायरा बढ़ने के साथ-साथ समस्याएं नए-नए रूपों में प्रकट हो रही हैं इनके निराकरण हेतु केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 17 मई 2016 को राष्ट्रीय महिला नीति 2016 का प्रारूप हित धारकों की टिप्पणियों एवं परामर्श हेतु जारी किया गया।

जनसामान्य के जीवन के सभी आयामों का सर्वांगीण विकास करना प्रत्येक कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य द्वारा विभिन्न नीतियों का निर्धारण किया जाता है, इन नीतियों में निर्धारित की गई कार्य योजना का क्रियान्वयन कर समय बद्ध तरीके से लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास कर विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का निर्माण भी इन नीतियों पर ही आधारित होता है। योजनाओं तथा कार्यक्रमों की सफलता एवं असफलता का मूल्यांकन कर समय-समय पर नीतियों में संशोधन किए जाते हैं अर्थात यह नीतियां राज्य के कार्य क्षेत्र का आईना होती हैं।

उद्देश्य– मध्यप्रदेश की महिला नीति एवं कल्याणकारी योजनाओं का क्रियांवयन सेमरिया तहसील के विशेष सन्दर्भ में।

महिला नीति– महिलाओं का समर्थ होना निरंतर नीति की बुनियाद है। समर्थ होने पर ही महिलाएं अपने जीवन के सभी पहलुओं पर पूरा नियंत्रण पा सकती हैं, यदि अन्याय पूर्ण सामाजिक ढांचे को तोड़ना है और राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं को उनका उचित स्थान दिलाना है, तो महिलाओं का सर्वांगीण विकास करना अति आवश्यक है।

मध्यप्रदेश शासन महिलाओं की समानता, सुरक्षा, स्वतंत्रता उनके लिए न्याय विकास एवं सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है, महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं शैक्षणिक सशक्तिकरण विकास के लिए संचालित लाइफ साइकिल अप्रोच आधारित प्रदेश के अनेक कार्यक्रम एवं योजनाओं की देश में अलग पहचान बनी है।

मध्यप्रदेश शासन का लक्ष्य महिलाओं का पूर्ण सशक्तिकरण है। राज्य की महिला नीति की मूल अवधारणा महिलाओं के प्रति समाज की मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन लाना है, जिससे उनके साथ विद्यमान विभेदकारी असमानता की स्थिति समाप्त हो, महिलाओं के प्रति समानता एवं सम्मान की भावना एवं उनकी सुरक्षा आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं विकास में समान भागीदारी सुनिश्चित हो।

मध्य प्रदेश में विकास की प्रक्रिया में आरंभ से ही महिलाओं की ओर ध्यान देने का प्रयास किया जाता रहा है, राज्य में महिलाओं की संख्या लगभग आधी है, राज्य में महिलाएं सबसे गरीब सुविधा से वंचित वर्ग में आती हैं, जिन्हें विकास से अवसर लाभ नहीं हो पाया है। महिलाएं मुख्यत: कृषि,वन, घरेलू उत्पादन और शहरी अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करती हैं। महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य की प्रथम महिला नीति घोषित की गई है।इस नीति में निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं–

1. नारी जीवन का अस्तित्व और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
2. समाज में महिलाओं की भरपूर सहभागिता सुनिश्चित करना और निर्णय लेने में उनकी भूमिका को सशक्त करना।
3. सभी क्षेत्रों में विकास के प्रयासों का भरपूर लाभ उठाने के लिए महिलाओं को समर्थ बनाना।

4. महिलाओं में आत्मविश्वास जागृत करना और समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाना।
5. आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भरपूर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक कदम उठाना।
6. जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
7. महिलाओं के प्रश्न पर व्यापक समाज के रवैया में परिवर्तन लाना और उसे संवेदनशील बनाना।
8. महिलाओं के साथ हो रहे नृशंसित अत्याचार और हिंसाचार की रोकथाम करना।

मध्य प्रदेश में महिलाओं की स्थिति– मध्य प्रदेश में महिलाओं के विकास विभिन्न संकेतको में सकारात्मक परिवर्तन परिलक्षित हुआ है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर स्त्री–पुरुष अनुपात 1000 पर 940 है जो मध्यप्रदेश में 931 है। (ग्रामीण जनसंख्या में 936 तथा शहरी जनसंख्या में 918)। वर्ष 2001–2011 के दौरान मध्यप्रदेश में दशकीय किए वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर 17.7 प्रतिशत की तुलना में 20.35 प्रतिशत है। वर्ष 1991 से 2001 के दौरान मध्यप्रदेश में यह दर 24. 3 प्रतिशत थी। मध्यप्रदेश में दशकीय वृद्धि दर में पुरुष (19.6%) एवं महिला (21 प्रतिशत) है। मध्यप्रदेश में शिशु लिंगानुपात (0 से 6 वर्ष) जनगणना 2001 में मध्यप्रदेश में शिशु लिंगानुपात 932 था, जो जनगणना 2011 में 14 अंकों की गिरावट के साथ 918 हो गया।

मध्यप्रदेश में साक्षरता दर 69.3 प्रतिशत है, जो 2011 की जनगणना में 63.7 प्रतिशत थी। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मध्यप्रदेश में साक्षरता दर पुरुष 78.7 प्रतिशत, महिला 59.2 प्रतिशत, ग्रामीण 63.94 प्रतिशत नगरीय 82.85 प्रतिशत थी। भारत की साक्षरता दर 73 प्रतिशत है।

महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त करने के लिए पंचायत राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। महिला जनप्रतिनिधियों की निर्णय क्षमता विकसित करने के लिए ओरियंटेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, वन समितियों में भी 50 प्रतिशत महिलाओं को स्थान दिया गया है।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा महिलाओं के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाएं– मध्यप्रदेश शासन द्वारा महिलाओं के विकास हेतु अनेक प्रकार की योजनाएं संचालित की गई है, इन योजनाओं का **संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है–** 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री ने **'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ'** योजना प्रारंभ की। यह योजना लड़कियों को बचाने एवं जन्म का उत्सव मनाना और उसे शिक्षा प्रदान करना है। यह वर्ष 2014–15 के बजट में की गई घोषणा के अनुसार 100 करोड़ रुपए की आरंभिक राशि द्वारा शुरू की गई थी। वर्ष 2022–23 के बजट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सहित कुछ अन्य प्रमुख योजनाओं को मिशन शक्ति के अंतर्गत मिलाकर कुल 3184.11 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा **'लाड़ली लक्ष्मी योजना',** श्स्वागतम लक्ष्मी योजनाश का संचालन लड़कियों एवं महिलाओं को समाज की मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए महिलाओं द्वारा संचालित स्व सहायता समूहों का गठन किया है **'तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम'** मध्य प्रदेश में शासकीय सेवा को 50% आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। बालिकाओं को शैक्षणिक रूप से सशक्त करने के लिए **'गांव की बेटी योजना'** 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने वाली ग्रामीण बालिका को नि: शुल्क उच्च शिक्षा तथा 500 रुपए प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। **'प्रतिभा किरण योजना'** इस योजना में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली मेधावी छात्राओं का शिक्षा स्तर बढ़ाने का प्रयास किया गया है। 'एकल बालिका नि:शुल्क योजना' इकलौती बालिका को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सभी विद्यालयों में निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना।

रीवा जिले की सेमरिया तहसील की महिलाओं की साक्षरता दर

तालिका–1: महिला साक्षरता दर

महिलाए	
साक्षर महिलाए	निरक्षर महिलाए
49 %	51%
कुल योग 100%	

मध्य प्रदेश की महिला कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावशीलता का आनुपातिक अध्ययन करने के लिए शोधार्थी ने 50 महिलाओं का आकलन करते हुए उनका एकीकृत चिंतन जानने की कोशिश की जिसका विवेचनात्मक विश्लेषण दिया गया है। अध्ययन क्षेत्र रीवा जिले के सेमरिया तहसील से चयनित 50 उत्तरदाताओं (महिलाओं) से जब यह प्रश्न किया गया कि क्या आपको शासकीय योजनाओं की जानकारी है तो इस पर उनके उत्तर निम्न रहे हैं।

तालिका–2: शासकीय योजनाओं की जानकारी (उत्तरदाता 50 महिलाए)

क्र.	विवरण	महिलाओं की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	35	70%
2.	नहीं	15	30%
	योग	50	100%

अपरोक्त तालिका में महिलाओं के कल्याण हेतु संचलित योजनाओं के संदर्भ में वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। उत्तरदाताओं की अभिरुचि से स्पष्ट होता है कि क्षेत्र की 70% महिलाओं ने हाँ एवं 30% महिलाओं ने नहीं में जवाब दिया है, अर्थात क्षेत्र में अभी भी महिलाओं को जानकारी का अभाव है।

तालिका–3: योजनओं से लाभ की जानकारी

क्र.	विवरण	महिलाओं की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	40	80%
2.	नहीं	10	20%
	योग	50	100%

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि क्षेत्र में 80 प्रतिशत महिलाओं को योजनाओं से लाभ मिल रहा है एवं 20 प्रतिशत महिलाएं अभी भी किसी करण से लाभ प्राप्त नहीं कर पा रही हैं।

तालिका–4: स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं से लाभ की जानकारी

क्र.	विवरण	महिलाओं की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	35	70%
2.	नहीं	15	30%
	योग	50	100%

क्षेत्र में 70 प्रतिशत महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं से लाभ मिल रहा है, एवं 30 प्रतिशत महिलाएं अभी भी लाभ लेने से वंचित हैं।

निष्कर्ष– लगभग 15 वर्षों बाद राष्ट्रीय महिला नीति में संशोधन का प्रस्ताव आया जिसमें जारी मसौदे का उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाना है। सरकार की इस नीति के माध्यम से महिला कल्याण, महिला विकास एवं महिलाओं के स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ–साथ महिलाओं के संपूर्ण विकास कार्यों अथवा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लोक कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर महिलाओं के संपूर्ण जीवन में सरकार का काफी योगदान रहा है। मध्य प्रदेश की महिलाओं की स्थिति में काफी परिवर्तन हुआ है जिससे उनके विकास कार्यों में काफी सुधार हुआ है। सामाजिक प्रतिबन्ध और राजनीतिक प्रतिरोध के चलते महिलाओं का अधिक विकास अभी भी जैसा होना चाहिए नहीं हो पाया है। इसके लिए स्वयं महिलाएं जिम्मेदार हैं साथ ही पुरुष प्रधान समाज ने महिलाओं को आगे बढ़ने से रोका है, महिला सशक्त तभी होगी जब पुरुष मानसिकता बदलेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची:–

1. घटना चक्र 188/128 एलनगंज, चर्चलेन प्रयागराज इलाहाबाद–211002 वर्ष 2022,
2. प्रतियोगिता संदर्भ 36– एच, विज्ञान नगर इंदौर–12(म.प्र.),
3. महिला नीति 2015 (महिला एवं बाल विकास विभाग मध्यप्रदेश),
4. तिवारी रविशंकर, मध्यप्रदेश कल्याणकारी योजनाएं फरवरी 2022,
5. सम–सामयिकी घटना चक्र

****